न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 18/2019/प्रार्थना पत्र मुंतकिली

हनुमान प्रसाद पुत्र मोहर चन्द, जाति यादव, निवासी मोहनपुरा उर्फ खरखड़ा, उप–तहसील पाटन, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)। प्रार्थी

बनाम

1. सरदार सिह पुत्र मोहर सिंह
2. रामस्वरूप पुत्र तिलोक
3. महावीर पुत्र तिलोक
4. विक्रम पुत्र तिलोक

समस्त जाति अहीर, निवासीगण ग्राम मोहनपुरा उर्फ खरखड़ा, उप–तहसील पाटन, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)।

5. भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर

अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री ईश्वर लाल यादव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री ताराचन्द यादव अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

प्रार्थना पत्र मुंतकिली अन्तर्गत धारा 251 आर.टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक :27 अगस्त, 2019

1. प्रार्थी ने प्रा. पत्र मुन्तकिली के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार होना अंकित किया है :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया। भूमि खसरा नम्बर 971/1 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/4 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 980 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 981/1 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 985/3 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसर नम्बर 987/1 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर राजस्व ग्राम पाटन प.ह. पाटन, तहसील नीमकाथाना में स्थित है। उक्त सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(2) भूमि खसरा नम्बर 966 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 967/2 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 968/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 968/3 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 969/2 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसर नम्बर 970/1480 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर राजस्व ग्राम पाटन प.ह. पाटन, तहसील नीमकाथाना में स्थित है। उक्त सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

(3) भूमि खसरा नम्बर 971/3 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 972/2 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 973/2 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 974 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 975 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसर नम्बर 976 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्ब 978 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/2 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979/5 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 988/2 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 989 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 2.2 हैक्टेयर राजस्व ग्राम पाटन प.ह. पाटन, तहसील नीमकाथाना में स्थित है। उक्त सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

(4) उक्त वर्णित भूमि बिन्दू संख्या 1 से 3 पुराने खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस के स्थान पर लिपिकीय भूल के कारण से सेटलमेन्ट के बाद जारी किये गये नक्शा ट्रेस में गलत नक्शा का इन्द्राज किया गया। मौके पर रिकॉर्ड में अंकन अनुसार नये नक्शे में क्षैत्रफल मे फेरबदल कर दिया गया जबकि सेटलमेन्ट में पूर्व के नक्शे के अनुसार जमाबन्दी में अंकित क्षैत्रफल का सही अंकन है। उक्त लिपिकीय भूल को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

(5) आवेदन पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उप तहसीलदार पाटन से जांच रिपोर्ट में में अंकन किया गया कि उक्त दुरूस्ती से प्रार्थी प्रभावित होता है। दिनांक 08.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प पाटन में प्रार्थी को ज्ञान होने पर पक्षकार बनने का आवेदन पेश किया, जो मंजूर किया गया। प्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया और पत्रावली वास्ते बहस नियत है। पक्षकारों में पूर्व में आपसी सहमति से बंटवारा होकर अलग–अलग खसरा नम्बर पर नक्शा ट्रेस भी कब्जा अनुसार बन गया, उसके बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा दुरूस्ती का आवेदन पेश किया गया है।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(6) प्रार्थी दिनांक 28.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर हुआ उसी दिन जांच रिपोर्ट पेश हुई जिसे देखकर प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से कहा कि इससे मेरा रकबा कम हो जायेगा, प्रार्थी को नुकसान होगा। बहस सुनकर ही निर्णय किया जावे। इस पर बहस के लिए दिनांक 09.07.2019 की गई। प्रार्थी दिनांक 02.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में अपने वकील से बहस व अन्य दस्तावेज के बारे में पूछने गया तब अप्रार्थी संख्या 3 अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय से बाहर निकल रहा था और अपने वकील से जाकर कहा कि दिनांक 09.07.2019 को बहस कर देना साहब से बात हो गई है फैसला अपने पक्ष में हो जायेगा, इसलिए न्याय मिलने कोई उम्मीद नहीं है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकर किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहां विचाराधीन प्रकरण 390/2016 उनवान सरदार सिंह बनाम भूमिधारी को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश फरमाने का श्रम करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। वकील श्री ताराचन्द यादव ने अप्रार्थीगण ओर से वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि उक्त वर्णित भूमि पुराने खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस के स्थान पर लिपिकीय भूल के कारण से सेटलमेन्ट के बाद जारी किये गये नक्शा ट्रेस में गलत नक्शा का इन्द्राज किया गया। मौके पर रिकॉर्ड में अंकन अनुसार नये नक्शे में क्षैत्रफल मे फेरबदल कर दिया गया जबकि सेटलमेन्ट में पूर्व के नक्शे के अनुसार जमाबन्दी में अंकित क्षैत्रफल का सही अंकन है। उक्त लिपिकीय भूल को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन स्वीकर किया जाकर प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अभिकथन किया कि प्रकरण में कायम मुकाम वाद साक्ष्य इत्यादि होने के पश्चात ही बहस सुनने की स्टेज आती है। प्रार्थी द्वारा कोई ठोस व कानूनी आधार अंकित नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रार्थी के कथन से यह स्पष्ट है कि समस्त प्रकरण की जानकारी पक्षकारान को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही नियमानुसार व विधिक प्रकिया को मध्य नजर रखते हुए की गई है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

आधारहीन व बेबुनियाद हैं, जिसका कोई साक्ष्य/सबूत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी का एक मात्र उद्देश्य प्रकरण को लम्बित एवं जटिल किया रखा जाकर न्यायालय में वाद चलाये रखना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज करने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

6. न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना सीकर के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि मेरे द्वारा किसी को भी कोई निर्णय बाबत आश्वासन नहीं दिया गया है। प्रकरण बहस में चल रहा है। पक्षकारान की आपसी पारिवारिक द्वेषता होने से प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रस्तुत किया गया है फिर भी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण अन्तिम बहस हेतु विचाराधीन है, इसलिए इसे किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तो प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होगा। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे जाहिर होता हो कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण में कोई पक्षपात पूर्ण निर्णय किये जाने की सम्भावना हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने भी प्रकरण को न्यायिक प्रक्रिया अनुसार निर्णित करने बाबत लिखा है। जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांकः 27-08-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner